

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 334]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 4 जुलाई 2017—आषाढ़ 13, शक 1939

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 4 जुलाई 2017

क्र. बी-4-03-2017-2-पांच (18).—रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) की धारा 80-ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मेसर्स सुख सागर फूड प्राइवेट लिमिटेड, कटनी के पक्ष में उद्योग स्थापना हेतु पूर्व में आवंटित भूमि के पट्टा विलेख दिनांक 25 जून 2011 हेतु जमा की गई पट्टा भाटक एवं प्रीमियम (प्रब्याजि) पर ही पुनः आवंटित भूमि के पट्टा विलेख पर, प्रभार्य फीस से छूट प्रदान करती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 4 जुलाई 2017

क्र. बी-4-03-2017-2-पांच (18).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुक्रम में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ-बी-4-03-2017-2-पांच (18), दिनांक 04 जुलाई 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

Bhopal, the 4th July 2017

No. F-B-4-03-2017-2-V-(18).—In exercise of the powers conferred by Section 80-B of the Registration Act, 1908 (No. 16 of 1908), the State Government, hereby, remits the fees chargeable on the lease deed of the reallocated land in favour of M/s Sukh Sagar Food Private Limited, Katni with the lease rent and premium as deposited for lease deed dated 25 June 2011 of the same allotted earlier for establishment of the industry.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
S. D. RICHHARIA, Dy. Secy.